# कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांकः 442/मानचित्र अनु0 (जोन बी)/2017

दिनांक :-01-7-17

**मै0 हरिओम सहकारी आवास समिति लि0,**
निवासी–795 रूडकी रोड, रोशनपुर डौरली,
मेरठ।

---

आपके पत्र दिनांक **14.02.2017**, मानचित्र सं0–**1221/14 (संशोधित)** के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित **ग्रुप हाउसिंग** निर्माण को मौहल्ला/कालोनी/ग्राम **ग्राम रोशनपुर डौरली, मेरठ** के खसरा संख्या **850/1 व 850/4** पर निम्नलिखित शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैद्य हैं।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगां
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहॉ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना होगा ताकि मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप–नियमों के नियम 21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्ण अनुमति प्राप्त करने का बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप–नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूयपायी) करेंगे।
11. उपरोक्त शर्तो का उल्लघंन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
12. मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित अप्लीकेशन संख्या 21/2014 वर्धमान कौशिक एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 10.11.16 के क्रम में संलग्नक का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

**संलग्नः–** स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

**प्रतिलिपिः** नोडल अधिकारी को प्रेषित।

शर्ते 1 एवं स्वीकृत मानचित्र निष्प्रभावी समझा जायेगा।

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

Scanned by CamScanner